

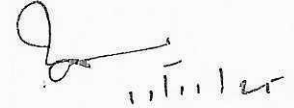
बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-01-59/2025 605 /पटना, दिनांक- 12.11.25

श्रीमती मेघा, नवनियुक्त सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 13.10.2025 से 10.04.2026 तक अपने प्रथम संतान हेतु 180 दिनों के अवकाश अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती मेघा, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



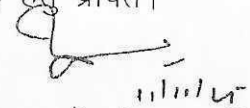
(अभय झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-59/2025

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



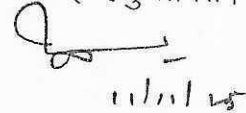
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-59/2025

11459

/पटना, दिनांक- 12.11.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/श्रीमती मेघा, नवनियुक्त सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

